International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बाल शोषण और उसके परिणामों पर एक अध्यन

Dr Vineet Kumar Pandey

Associate professor of sociology

BRD BD PG College Ashram Barhaj Deoria UP

सार

बाल यौन शोषण वर्तमान समय की विकराल समस्या है यह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है सुना है कि हर समाज में बुराई का कारण शिक्षा का अभाव होता है लेकिन वर्तमा समय में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है परंतु फिर भी आधुनिक समाज में यह गंभीर रूप ले रहा है जिस की गिरफ्त में मासूम बच्चे आ रहे हैं।परन्तु भारत में यौन शोषण की सभी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पातीं और इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। हाल ही में केरल में किशोरवय में यौन शोषण की व्यापकता पर सम्पन्न एक अध्ययन से पता चला है कि 36 प्रतिशत लड़के और 35 प्रतिशत लड़कियां किसी-न-किसी समय यौन शोषण का शिकार हुई हैं। भारत सरकार द्वारा कुल 17, 220 बच्चों और किशोरवय पर इसी प्रकार संपन्न एक अध्ययन में भी चौकाने वाले परिणाम देखने को मिले।

मुख्य शब्द: *बाल शोषण, यौन शोषण*

परिचय

बाल यौन शोषण की समस्या विश्व भर में व्याप्त है, भारत भी इससे अछूता नहीं | परन्तु भारत में यौन शोषण की सभी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पातीं और इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। हाल ही में केरल में किशोरवय में यौन शोषण की व्यापकता पर सम्पन्न एक अध्ययन से पता चला है कि 36 प्रतिशत लड़के और 35 प्रतिशत लड़कियां किसी-न-किसी समय यौन शोषण का शिकार हुई हैं। भारत सरकार द्वारा कुल 17, 220 बच्चों और किशोरवय पर इसी प्रकार संपन्न एक अध्ययन में भी चौकाने वाले परिणाम देखने को मिले। यह पाया गया कि देश का प्रत्येक दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार हुआ था जिनमें लड़कों की संख्या 52.94 प्रतिशत और लड़कियों की 47.06 प्रतिशत थी। बाल यौन शोषण की अधिकतम घटनाएं असम (57.27%) में थीं, इसके पश्चात दिल्ली (41%) आंध्र प्रदेश (33.87%) तथा बिहार (33.27%) का स्थान था ।

यौन शोषण और यौन व्यापार की उच्च व्यापकता भारत की गंभीर समस्याओं में से एक है। विगत दो दशकों में बच्चों में यौन संचारित रोगों की उपस्थिति बढ़ी है। अपराधी बहुधा यौन शोषित बच्चे की जान

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

पहचान का होता है । इसलिए, बाल यौन शोषण की समस्या को स्पष्ट तौर पर और अधिक कड़े दण्ड के साथ दूर करने की आवश्यकता है। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े जघन्य अपराधों को कारगर ढंग से दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़ (POCSO) अधिनियम पारित किया गया। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से वैधानिक व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता, कोड दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 और POCSO 2012 में संशोधन किया गया। क्रिमिनल लॉ (संशोधन) ऐक्ट 2013 में पीछा करने, निर्वस्त्र करने, यौन व्यापार करने तथा एसिड से हमला करने पर भी दण्ड का प्रावधान किया गया है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ऐक्ट, 2012)

इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (चिल्ड्रेन) को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। बाल यौन शोषण की परिभाषा बृहत् है जिसमें सम्मिलित हैं: (i) प्रवेशन लैंगिक हमला, (ii) गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला, (iii) लैंगिक हमला, (iv) गंभीर लैंगिक हमला, (v) यौन उत्पीड़न, (vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका का प्रयोग करना, और (vii) लैंगिक प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका का अवैध व्यापार करना । जब शोषित बालक/बालिका मानसिक रोगी हो अथवा यौन शोषण पीड़ित के परिचित व्यक्ति द्वारा किया गया है अथवा उससे संबद्ध किसी प्राधिकारी वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया गया हो, ऐसी स्थिति में अपराध गंभीर श्रेणी का होता है। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दण्ड का प्रावधान है जिसमें अधिकतम आजीवन कठोर कारावास और अर्थदण्ड सम्मिलित है।

पोक्सो (POCSO) अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पीड़ित का पुनः उत्पीड़न नहीं हो, पूरी न्यायिक प्रक्रिया पीड़ित के प्रति अनुकूल वातावरण में होनी चाहिए और उसके सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि महत्व दिया जाए। इसमें अपराध की रिपोर्टिंग करने, प्रमाण की रिकॉर्डिंग करने, अपराध की जांच करने और मनोनीत विशेष न्यायालयों के माध्यम से बन्द कमरे में (इन- कैमरा) तथा पीड़ित बालक/बालिका की पहचान बताए बिना त्वरित मुकदमा चलाने के संबंध में बालक/बालिका के प्रति अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाना सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत विशेष न्यायालय को यौन पीड़ित बालक/बालिका के लिए मुआवजा राशि के निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिससे वह धनराशि पीड़ित के चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास पर व्यय किया जा सके।

उद्देश्य

1. बाल यौन शोषण वर्तमान समय की विकराल समस्या है

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

2. यौन शोषण और यौन व्यापार की उच्च व्यापकता भारत की गंभीर समस्याओं में से एक है।

बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आवश्यक बातें

बाल विवाह : POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बाल विवाह और बाल विवाह के उपरांत यौन संबंध स्थापित करने को असंवैधानिक माना गया है। भारत में यद्यपि धर्मनिरपेक्ष कानून में बाल विवाह प्रतिबंधित है, परन्तु कुछ पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) के अंतर्गत इसकी मंजूरी है। जिससे ये मामले और जटिल हो जाते हैं। कानून में संशोधन के समय इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है।

POCSO अधिनियम, 2012 में चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों, न्यायविदों, वकीलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस पहलू पर शोध करना, सूचना प्रदान करना, मॉनीटरिंग करना और जन सामान्य को संवेदीकृत करना बड़ी चुनौतियां हैं। बृहत् सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को प्रशिक्षित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी मेडिकल अण्डरग्रेजुएट छात्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े चिकित्सकों को भी पीड़ित बालकों / बालिकाओं का साक्षात्कार करने, स्थितिक आकलन करने, साक्ष्य एकत्र करने, यौन संचारित रोगों एवं एच आई वी के लिए रोगनिरोध, परिवार के सदस्यों को परामर्श देने तथा नियमित रूप से फॉलो अप करने में प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका : बाल यौन शोषण के मामलों में जननांग में चोट के चिन्ह यदा-कदा ही देखे जाते हैं। इसलिए, बाल यौन शोषण से पीड़ित का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल जांच करने, फोरेंसिक साक्षात्कार करने में दक्षता के बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए उनके माता–पिता और देखभालकर्ताओं के प्यार के साथ–साथ उचित देखभाल और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि माता–पिता या देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जाता है या उपेक्षा की जाती है, तो इसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव आमतौर पर अन्य लोगों द्वारा किए गए नुकसान की तुलना में बच्चों को अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। शारीरिक रूप से, बच्चों के साथ किए जा रहे नुकसान / दुर्व्यवहार से वे न केवल शारीरिक चोटों से पीड़ित होंगे बल्कि शरीर की कार्यप्रणाली और बौद्धिक विकास में भी अलग–अलग तरह के ऐसे नुकसान होंगे जो गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से बात करें, तो बच्चों के व्यवहार, भावनाओं, धारणाओं और पारस्परिक संबंधों को लेकर समस्याएं पैदा होंगी। यदि समस्याओं के साथ उचित ढंग से निपटा नहीं गया, तो वे बच्चों को आघात पहुंचा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सकती हैं और साथ ही उनकी परवरिश और बाल अनुशासन के ढंग को प्रभावित कर सकती हैं जिससे अगली पीढ़ी के लिए संभावित समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

बच्चों को नुकसान / दुर्व्यवहार से बचाना न केवल बच्चों का अधिकार है बल्कि उनके माता- पिता/अभिभावक, देखभालकर्ताओं और समाज की भी जिम्मेदारी है। चाहे बच्चों के लिंग, उम्र, जाति, भाषा, धर्म, निवास की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, क्षमता या व्यवहार जो भी हों, जहां तक बाल दुर्व्यवहार से बचाव के लिए व्यावहारिक है, माता-पिता और सभी क्षेत्रों को बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

पिछले कुछ सालों से बाल श्रमिकों की दर में कमी आई है। इसके बावजूद बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है, जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक (चाइल्ड सोल्जर) और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है, जैसे ईंट भट्टों पर काम करना, गलीचा बुनना, कपड़े तैयार करना, घरेलू कामकाज, खानपान सेवाएं (जैसे चाय की दुकान पर) खेतीबाड़ी, मछली पालन और खानों में काम करना आदि। इसके अलावा बच्चों का और भी कई तरह के शोषण का शिकार होने का खतरा बना रहता है जिसमें यौन उत्पीड़न तथा ऑनलाइन एवं अन्य चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है।

बाल मजदूरी और शोषण के अनेक कारण हैं जिनमें गरीबी, सामाजिक मापदंड, वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी, प्रवास और इमरजेंसी शामिल हैं। ये सब वज़हें सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानताओं के परिणाम हैं।

बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इसके बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक व मानसिक विकास ना होने देना।

बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी है जिसमें हमेशा ही बच्चों का शोषण होता है। ऐसे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, यौन तथा भावनात्मक सभी प्रकार के उत्पीड़न सहने पड़ते हैं जैसे बच्चों को वेश्यावृति की ओर जबरदस्ती धकेला जाता है, शादी के लिए मजबूर किया जाता है या गैर-कानूनी तरीके से गोद लिया जाता है, इनसे कम और बिना पैसे के मजदूरी कराना, घरों में नौकर या भिखारी बनाने पर मजबूर किया जाता है और यहां

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तक कि इनके हाथों में हथियार भी थमा दिए जाते हैं। बाल तस्करी बच्चों के लिए हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा एच आई वी संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा पैदा करती है।

बाल मजदूरी तथा शोषण एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से रोके जा सकते हैं जो बाल सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने के साथ-साथ गरीबी तथा असमानता जैसे मुद्दों, गुणात्मक शिक्षा के बेहतर अवसरों, और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जन सहयोग जुटाने में मदद करते हैं।

अध्यापक तथा शिक्षा व्यवसाय से जुड़े अन्य लोग भी बच्चों के हितों की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे समाज के हितधारकों को बच्चों की उस दयनीय स्थिति से अवगत करा सकते हैं जहां बच्चों में निराशा के साथ-साथ देर तक काम करने के संकेत दिखाई देते हैं। बच्चों को काम से बाहर निकाल कर उन्हें स्कूल भेजने के लिए शोषित परिवारों को जागरूक करने के लिए सरकारी नीतियों में व्यापक बदलाव करने की जरूरत है।

यूनीसेफ, सरकार तथा निजी एंजेसियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए आवश्यक नीतियां तैयार करता है। यूनिसेफ बाल मजदूरी को जन्म देने वाली उन व्यावसायिक पद्धतियों व उनकी सप्लाई चैन के विकल्प खोजने के लिए काम करता है। यूनिसेफ़ कर्ज़ के अधीन व बंधुआ मजदूरी को खत्म करने में सहायता करने के लिए परिवारों के साथ मिलकर काम करता है । यूनीसेफ उन कार्यक्रमों के एकीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहयोग देता है जिनसे बाल मजदूरी समाप्त हो सकती है। हम बाल मजदूरी की सांस्कृतिक स्वीकृति को बदलने में समुदायों को भी सहयोग देते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवारों को वैकल्पिक आमदनी, प्री स्कूल, गुणात्मक शिक्षा तथा संरक्षण सेवाओं की पहुंच का भी ध्यान रखते हैं।

जब हम महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ देखते है तो पता चला है कि भारत में बारह साल और उससे कम उम्र के 53 फीसद बच्चे यौन शोषण का शिकार बनते है दिन-प्रतिदिन बाल यौन शोषण की घटनाओं और लगातार अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बावजूद भी हमारा समाज जाने-अनजाने में कई भूल कर रहा है जिसके चलते हमारे बच्चे स्कूल, गलियों और अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है । भारत मे बाल यौन शोषण कई कारणों की वजह से होती है, जैसे- शर्म जागरूकता की कमी, बिना सवाल करें बड़ो की बात का पालन करना, यौन सम्बन्धी सवालों पर चुप्पी साधना और भी कई सारे तत्व मिलकर अपराधी को आरोप से

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 3, March- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बचने की सुरक्षा दिलवाते हैं और हमें इन्हीं मुश्किलों को दूर कर बाल यौन शोषण को रोकना जरूरी है।

निजी स्तर पर बाल यौन शोषण की पहचान और उसका सामना अगर कोई बच्चा जिसके साथ यौनशोषण हुआ है के बारे में बताता हैं तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि–

1. बच्चे की हर बात ध्यान से सुनें और उसकी हर बात पर गौर करें,
2. उनकी बातों पर भरोसा करें। उनको ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुलकर अपनी बात रख सकें,
3. उन्हें भरोसा दिलाये कि वे साहसी हैं और जो उनके साथ हुआ है उसमें उनका कोई दोष नहीं था

निष्कर्ष

विश्व के अनेक देशों की तरह भारत भी बाल यौन शोषण की समस्या से जूझ रहा है। जहां पीड़ित बालक / बालिका और उसके परिवार के सदस्यों को हीन भावना, कुंठा और भावात्मक अशांति जैसी सामाजिक स्थितियों का दंश झेलना पड़ता है, मनोविकार विकसित हो जाते हैं, वहीं अस्पताल में इलाज कराने, पुलिस द्वारा न्यायालय में इस विषय पर विस्तृत बहस के दौरान अत्यन्त ही कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ता है। बाल यौन शोषण से संबंधित अपराध के लिए भारतीय संविधान में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़ ऐक्ट (POCSO) 2012 के तहत जिम्मेदार अपराधी के लिए दण्ड का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए । बाल यौन शोषण से पीड़ित बालक/बालिका को भावात्मक और मनोसामाजिक सहायता पहुंचाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1. "बाल योन शोश्न"। मेडलाइन साख. यू.एस. नेशनल लेबरेरी एएफ मेडीसीन। 2008-04-02. मूल से 5 दिसंबर 2013 को पुरालेखित.
2. "बाल संरक्षण मामलों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश। व्यावसायिक अभ्यास और मानकों पर समिति, एपीए व्यावसायिक मामलों का बोर्ड"। दी अमेरिकन साइकोलोजिस्ट. 544 (8): 586–593.

3. योन शोषण (बच्चा): बच्चों पर शक्ति या नियंत्रण या उच्च पद पर काफी हद तक दुसरा वेयक्ति या एक वयस्क और बच्चे के बीच में संपर्क से अमुमन दीफीन कीया जाती है।, यथार्थ वेयक्ति या वयस्कों की यौन इच्छा के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया जा जारी है
4. विलियम्स, माइक (2019)। "एनएसपीसीसी का बाल यौन शोषण कार्यक्रम की रक्षा और सम्मान करें: कार्यक्रम कार्यान्वयन और सेवा उपयोग से प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा" (पीडीएफ)। लंदन: एनएसपीसीसी. मूल (पीडीएफ) 29 मार्च 2019 से पुरालेखित। अभिगमन तिथि 29 मार्च 2019।
5. विलियम्स, माइक (मार्च 2019)। "एनएसपीसीसी के बाल यौन शोषण की रक्षा और सम्मान के लिए एक-से-एक कार्य का मूल्यांकन" (पीडीएफ)। लंदन: एनएसपीसीसी. मूल से 29 मार्च 2019 तक पुरालेखित (पीडीएफ)। अभिगमन तिथि 29 मार्च 2019।
6. विलियम्स, माइक (मार्च 2019)। "एनएसपीसीसी की सुरक्षा और सम्मान बाल यौन शोषण समूह कार्य सेवा का मूल्यांकन" (पीडीएफ)। लंदन: एनएसपीसीसी. मूल से 29 मार्च 2019 तक पुरालेखित (पीडीएफ)। अभिगमन तिथि 29 मार्च 2019।
7. मार्टिन जे, एंडरसन जे, रोमन्स एस, मुलेन पी, ओ'शीया एम (1993)। "बाल यौन शोषण के बारे में पूछना: दो चरणीय सर्वेक्षण के पद्धतिगत निहितार्थ"। बाल दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा. 17 (3): 383-92. पीएमआईडी 8330225. डीओआई:10.1016/0145-2134(93)90061-9।
8. "यौन शोषण क्या है?" एनएसपीसीसी। मूल से 24 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन दिनांक 12 जनवरी 2016।
9. "यूनिसेफ" (पीडीएफ). unicef.org. मूल से 10 डेवलपर 2019 को पुरालेखित (पीडीएफ)। अभिगमन तिथि 10 जुलाई 2019।
10. रूसा मेगावाट, रेनहोल्ट्ज़ सी, एंजेलिनी पीजे (फरवरी 1999)। "युवा महिलाओं में बाल यौन शोषण और अवसाद का संबंध: चार जातीय समूहों में तुलना"। असामान्य बाल मनोविज्ञान जर्नल. 27 (1): 65-76. पीएमआईडी 10197407.
11. लेविटन आरडी, रेक्टर एनए, शेल्डन टी, गोअरिंग पी (2003)। "ओंटारियो के एक सामुदायिक नमूने में प्रमुख अवसाद और/या चिंता विकारों से जुड़ी बचपन की प्रतिकूलताएँ: सह-रुग्णता और विशिष्टता के मुद्दे"। अवसाद और चिंता। 17 (1): 34-42.
12. रोथ, सुसान; न्यूमैन, एलाना; पेल्कोविट्ज़, डेविड; वैन डेर कोल्क, बेसेल; मंडेल, फ्रांसिन एस. (1997)। "यौन और शारीरिक शोषण के संपर्क में आने वाले पीड़ितों में जटिल PTSD: अभिघातजन्य तनाव विकार के लिए DSM-IV क्षेत्र परीक्षण से परिणाम"। अभिघातजन्य तनाव का जर्नल. 10 (4): 539-55.

13. मेसमैन-मूर, टी.एल.; लॉन्ग, पी.जे. (2000)। "बाल यौन शोषण और वयस्क यौन शोषण, वयस्क शारीरिक दुर्व्यवहार और वयस्क मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के रूप में पुनरुद्धार"। पारस्परिक हिंसा का जर्नल. 15 (5): 489-502. डीओआई:10.1177/0886260000015005003।
14. डिनविडी एस, हीथ एसी, डन एमपी, और अन्य (जनवरी 2000)। "प्रारंभिक यौन शोषण और आजीवन मनोविकृति: एक सह-जुड़वा-नियंत्रण अध्ययन"। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा. 30 (1): 41-52. पीएमआईडी 10722174.
15. कोर्टोइस, क्रिस्टीन ए. (1988)। अनाचार घाव को ठीक करना: चिकित्सा में वयस्क बचे। न्यूयॉर्क: नॉर्टन. पृ° 208. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-393-31356-7.
16. पेरेडा, एन.; गुइलेरा, जी.; फोर्न्स, एम. और गोमेज़-बेनिटो, जे. (2009)। "समुदाय और छात्र नमूनों में बाल यौन शोषण की व्यापकता: एक मेटा-विश्लेषण"। नैदानिक मनोविज्ञान समीक्षा. 29 (4): 328-338. पीएमआईडी 19371992. डीओआई:10.1016/जे.सीपीआर.2009.02.007।
17. "यौन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना: तथ्य और सांख्यिकी"। एनएसओपीडब्ल्यू। मूल से 25 नवंबर 2017 पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अक्टूबर 2017.